

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी०आर०सं०:- 583/2020

गोह धाना कांड संख्या :- 98/2020

18.08.2020 काराधीन अभियुक्तगण नामतः बिक्रम यादव, रंजीत यादव, नितीश कुमार, बिपुल यादव, बिपीन यादव, जितेन्द्र उर्फ पंडित, विद्यानंद यादव, पंकज यादव एवं अरविन्द यादव की ओर से ई-फायलिंग के तहत शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है । सूचक की ओर से शक्ति पत्र के साथ संधि हेतु अनुमति आवेदन एवं उभय पक्ष की ओर से संयुक्त संधि आवेदन दाखिल किया गया है ।

वीडीयो कांफ्रेंसिंग के तहत सुनवाई करते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते हैं कि आवेदकगण निर्दोष हैं और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । आवेदकगण की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है । आवेदकगण के विरुद्ध दर्ज धाराओं में धारा 307 एवं 379 भा०दं०सं० को छोड़ कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का हैं तथा उक्त धारा वाद को अजमानतीय बनाने हेतु लगाया गया है । उभय पक्ष के बीच सुलह हो गया है तथा इस जमानत आवेदन के साथ सुलह हेतु अनुमति आवेदन एवं उभय पक्ष की ओर से संयुक्त संधि आवेदन दाखिल किया गया है । उक्त वाद गोह धाना कांड संख्या-97/2020 का पलटा वाद है, जिसमें भी संधि हो गया है । आवेदकगण दिनांक:-15.07.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः आवेदकगण को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि आवेदकगण के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 323, 325, 307 एवं 379 भा०दं०सं० के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है । उभय पक्ष आपस में गोटिया है । उभय पक्ष में संधि हो गई है । संयुक्त संधि आवेदन अभिलेख पर दाखिल है । आवेदकगण दिनांक:-15.07.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है । उक्त वाद का पलटा वाद गोह धाना कांड संख्या-97/2020 में भी संधि हो गया है । अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं संधि के तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक को मो०-10000x2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त होने के उपरांत इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि उसके उपर जैसा आरोप है, वैसा कोई कार्य पुनः नहीं करेंगे तथा न ही शांति व्यवस्था भंग करेंगे । वर्तमान में अभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति है तथा माननीय उच्च न्यायालय पटना के पत्र संख्या-25067-25103/A.D.(MISC.). IV-116(PF-C)2016 दिनांक-01.06.2020 के आलोक में इस शर्त के साथ बंधपत्र दाखिल करने से छूट दी जाती है कि आवेदक का जमानतदार इस इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि वह तीन माह के अंदर या लॉकडाउन समाप्ति के तुरंत बाद बंधपत्र दाखिल करेगा ।

प्र० अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।